UPMP040076832026

न्यायालय सिविल जज (अवर वर्ग)/एफ.टी.सी./ 14 वां वित्त आयोग, मैनपुरी ।

प्रार्थना पत्र संख्या-

वाद संख्या-625/2025
अपराध संख्या-23/2020
धारा-60 Ex. Act व 272 भा०दं०सं०
थाना-एलाऊ, जिला- मैनपुरी

राज्य बनाम सम्मोद।

आदेश

दिनांक- 13.04.2026

1. अभियुक्त सम्मोद पुत्र विद्याराम की ओर से वाद संख्या-625/2025 अपराध संख्या -23/2020 अन्तर्गत धारा- 60 Ex. Act व 272 भा०दं०सं०, थाना-एलाऊ, जिला- मैनपुरी के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त केस में गांव की पार्टीबन्दी के कारण रंजिशन झूंठा फंसाया गया है । प्रार्थी /अभियुक्त ने तथा कथित कोई अपराध कारित नहीं किया है । अतः प्रार्थी की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

3. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अपराध अजमानतीय है एवं जमानत का विरोध है।

4. सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है तथा अभियुक्त दिनांक- 12.04.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर रिहा हो चुका है। अतःमामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अधार पर्याप्त है।

6. अतः अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा 25 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है ।

(आजम रहमानी)
सिविल जज (अवर वर्ग)/एफ.टी.सी./
14 वां वित्त आयोग, मैनपुरी ।